प्रदीप सिंह खरोला

सचिव
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
नई दिल्ली-110003

अ.प. सं. सचिव(सीए)/01/विविध-एअर इंडिया **06, मई 2020**

प्रिय राजीव जी,

देश से बाहर फँसे हुए भारतीय नागरिकों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के भारत से बाहर (तात्कालिक संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) की आवाजाही के लिए मानक प्रचालन कार्यविधियों (एसओपीज) पर गृह मंत्रालय के दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश का संदर्भ ग्रहण करें।

2. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार भारत में फँसे हुए व्यक्ति जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको अपने विवरण के साथ एमओसीए अथवा एमओसीए द्वारा नामित किसी एजेन्सी में आवेदन करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एअर इंडिया को नोडल एजेन्सी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशों में फँसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एमओसीए द्वारा व्यवस्था की जा रही उन गैर-अनुसूचित व्यावसायिक उड़ानों में इन यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक संस्थागत क्रियाप्रणाली को प्रक्रिया में लगाया जा सकता है।

3. इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सराहनीय होगी।

आपका,

हस्ताक्षरित/-

(प्रदीप सिंह खरोला)

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

श्री राजीव बंसल
सीएमडी, एअर इंडिया
एयरलाइंस हाउस
गुरुद्वारा रकाब गंज रोड़
नई दिल्ली

स.40-3/2020-डीएम-I(ए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 5 मई, 2020

<u>आदेश</u>

गृह मंत्रालय आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 1 मई 2020 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(I) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सभापति की अपनी क्षमता से, ***विदेशों में फँसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विदेश यात्रा करने के लिए, संलग्नक के अनुसार,*** के संबंध में मंत्रालयो/भारत सरकार के विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के प्राधिकारियों को इसका कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एतद्द्वारा मानक प्रचालन कार्यविधियां (एसओपीज) जारी करता है।

हस्ताक्षरित/-

गृह सचिव

सेवा मेः **(संलग्न सूची के अनुसार)**

1. सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग।

2. प्रधान सचिव, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन।

प्रतिलिपि:

i) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सभी सदस्यगण।

ii) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेश स.40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 5 मई, 2020 का अनुबंध

क. देश से बाहर फँसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी)

कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउल उपायों से संबंधित गृह मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा निषिद्ध कर दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार लॉकडाउन से पहले अनेक उद्देश्यों जैसे कि रोजगार, पढ़ाई/इंटर्नशिप, पर्यटन, व्यवसाय आदि के लिए उन कई भारतीय नागरिकों नें जिन्होंने विदेशों की यात्रा की थी वे विदेशों में फँसे हुए हैं। विदेशों में उनके इस लंबे निवास के कारण वे संकट का सामना कर रहे हैं तथा यथाशीघ्र भारत लौटना चाहते हैं। उक्त मामलों के अलावा ऐसे और भी भारतीय नागरिक हैं जिनका चिकित्सीय संकटों अथवा परिवार के सदस्यों की मृत्यु के कारण भारत आना आवश्यक है।

2. ऐसे भारतीय नागरिकों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन कार्यविधि निर्धारित की जाती हैः

i. ऐसे व्यक्तिगण जिस देश में फँसे हुए हैं उस देश के भारतीय मिशन में, विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक विवरण के साथ अपना पंजीकरण करवाएंगे।

ii. ये लोग नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाली गैर अनुसूचित व्यवसायिक उड़ानों तथा सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले नौसैनिक जहाजों से यात्रा करेंगे। इन उड़ानों/नौसैनिक जहाजों को परिचालित करने की अनुमति केवल उन्हीं चालक दलों एवं कर्मचारियों को होगी जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव होगी।

iii. प्रवासी कामगारों/मजदूर जो छोड़ दिए गए हैं, अल्पावधि वीजाधारक जिनके वीजा की अवधि पूरी हो चुकी है, चिकित्सकीय आपातकाल वाले व्यक्तिगण/प्रसव होने वाली महिलाओं/अत्यधिक उम्र वाले व्यक्तियों, पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के कारण जिनका देश लौटना आवश्यक है तथा छात्रों सहित संकट में फँसे हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी

iv. यात्रा की लागत जैसा कि एमओसीए/डीएमए द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो का वहन ऐसे यात्रियों द्वारा स्वंय किया जाएगा।

v. प्राप्त पंजीकरणों के आधार पर विदेश मंत्रालय नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, निवास स्थान, अंतिम गंतव्य का स्थान; एवं आरटी-पीसीआर टैस्ट व इसके परिणाम की सूचना सहित उड़ान/नौसैनिक जहाज आधारित एक डेटाबेस तैयार करेगा। इस डेटा बेस को विदेश मंत्रालय के द्वारा संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ अग्रिम तौर पर साझा किया जाएगा।

vi. विदेश मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वार नोड़ल अधिकारियों को नामित करेगा जो इस उद्देश्य के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

vii. विदेश मंत्रालय कम से कम दो दिन पहले अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर, आने वाली उड़ानों/पानी के जहाजों की अनुसूची (दिन, स्थान एवं पहुँचने का समय) को दर्शाएगा।

ख. विदेश यात्रा के इच्छुक भारत में फँसे हुए व्यक्तियों की आवाजाही के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी)

कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउल उपायों से संबंधित गृह मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा निषिद्ध कर दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में ऐसे अनेकों लोग फँसे हुए हैं जो अनेक कारणों से अविलंब विदेश यात्रा करना चाहते हैं।

2. इस प्रकार के व्यक्तियों को यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित एसओपी एतद्द्वारा निर्धारित की जाती हैः

i. ऐसे व्यक्ति आगमन तथा गंतव्य स्थानों के साथ उन आवश्यक विवरणों के साथ जो एमओसीए द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके साथ नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) अथवा एमओसीए द्वारा नामित किसी एजेन्सी के समक्ष आवेदन करेंगें।

ii. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही गंतव्य देशों की यात्रा करने की अनुमति होगी जो उस देश के नागरिक हों; जो उस देश का कम से कम एक वर्ष का वीजा धारित कर रहे हों; तथा ग्रीन कार्ड अथवा ओसीआई धारक हों। चिकित्सकीय आपातकाल अथवा परिवार में मृत्यु के मामले में 6 महीने का वीजा धारित करने वाले भारतीय नागरिकों को भी अनुमति प्रदान की जा सकती है।

iii. ऐसे यात्रियों की टिकटें कन्फर्म होने से पहले, एमओसीए गंतव्य देशों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अपने देश में प्रवेश दिये जाने की अनुमति सुनिश्चित करेगा। गंतव्य देश के द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों, यदि कोई हो तो उसे यात्रा की मंशा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा पूरा किया जाएगा।

iv. भारत से यात्रा उन गैर अनुसूचित व्यावसायिक उड़ानों के द्वारा की जाएगी जिनकी व्यवस्था एमओसीए द्वारा विदेशों में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए की जा रही है।

v. यात्रा का व्यय, जो एमओसीए द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो का वहन यात्रियों के द्वारा किया जाएगा।

vi. विमान में चढ़ने के समय, एमओसीए यह सुनिश्चित करेगा कि हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरें। केवल लक्षणहीन यात्रियों को ही विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

vii. फ्लाइट के दौरान एमओसीए द्वारा जारी हैल्थ प्रोटोकॉल का कठोर अनुपालन किया जाएगा। इसके अंतर्गत मास्क पहनना, पर्यावरणीय स्वच्छता, श्वसन स्वस्थता, हाथों की स्वच्छता आदि का विशेष ध्यान एयरलाइऩ कर्मचारियों, चालक दल एवं सभी यात्रियों के द्वारा रखा जाना है।

viii. विमान में चढ़ने से पहले सभी यात्री यह घोषणापत्र देंगे कि वे भारत पहुँचने पर अपने स्वंय के खर्चे पर अनिवार्य रूप से 14 दिनों के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

ix. सभी यात्रीगणों को यह घोषणापत्र देना भी आवश्यक होगा कि वे यह यात्रा अपने स्वंय के जोखिम पर कर रहे हैं।

x. फ्लाइट/शिप में चढ़ते समय विदेश मंत्रालय हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान करेगा। केवल लक्षणहीन यात्रियों को ही विमान/पानी के जहाज में चढ़ने की अनुमति होगी।

xi. भू सीमारेखाओं के द्वारा भारत में पहुँचने वाले यात्रियों को भी उपरोक्तानुसार वर्णित प्रोटोकाल का पालन करना होगा और केवल उन्हीं को भारत में आने के लिए सीमारेखा को पार करने की अनुमति दी जाएगी जो लक्षणहीन होंगे।

xii. किसी भी स्थान यथा भूमि, समुद्र अथवा हवाई अड्डों से भारत में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के द्वारा अग्रिम तौर पर दो प्रतियों में स्वघोषणा पत्र (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगण ब्योरे सहित) भरा जाएगा तथा इसकी एक प्रति हवाईअड्डे/बंदरगाह/सीमारेखा प्रवेश स्थानों पर मौजूद स्वास्थ्य एवं अप्रवासन कर्मचारियों को दी जाएगी।

xiii. विमान/समुद्री जहाज में यात्रा के दौरान एमओसीए/डीएमए के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन किया जाएगा। इसमें एयरलाइन/समुद्री जहाज कर्माचारियों, चालक दल एवं सभी यात्रियों के द्वारा मास्क पहनना, पर्यावरणीय स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, हाथों की स्वच्छता आदि का पालन करना अनिवार्य है।

xiv. आगमन पर स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार हवाईअड्डे/बंदरगाह/सीमारेखा प्रवेश स्थानों पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

xv. सभी यात्रियों को अपने-अपने मोबाइल में *आरोग्य सेतु ऐप* डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा।

xvi. स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाये जाने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

xvii. शेष यात्रियों को संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा व्यवस्था किए गए उपयुक्त संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा केंद्रों में ले जाया जाएगा। जहाँ तक संभव हो ये सुविधाएं आने वाले यात्रियों के जिले के जिला मुख्यालय में होनी चाहिए।

xviii. इन यात्रियों को कम से कम 14 दिनों की समयावधि के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा।

xix. यदि 14 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें घर जाने दिया जाएगा जहाँ वे निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार आगामी 14 और दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य का स्व-निरीक्षण करेंगें। शेष व्यक्तियों को संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा केद्रं में भेज दिया जाएगा।